जनसंख्या–नियंत्रण

१९८२

चौधरी चरण सिंह

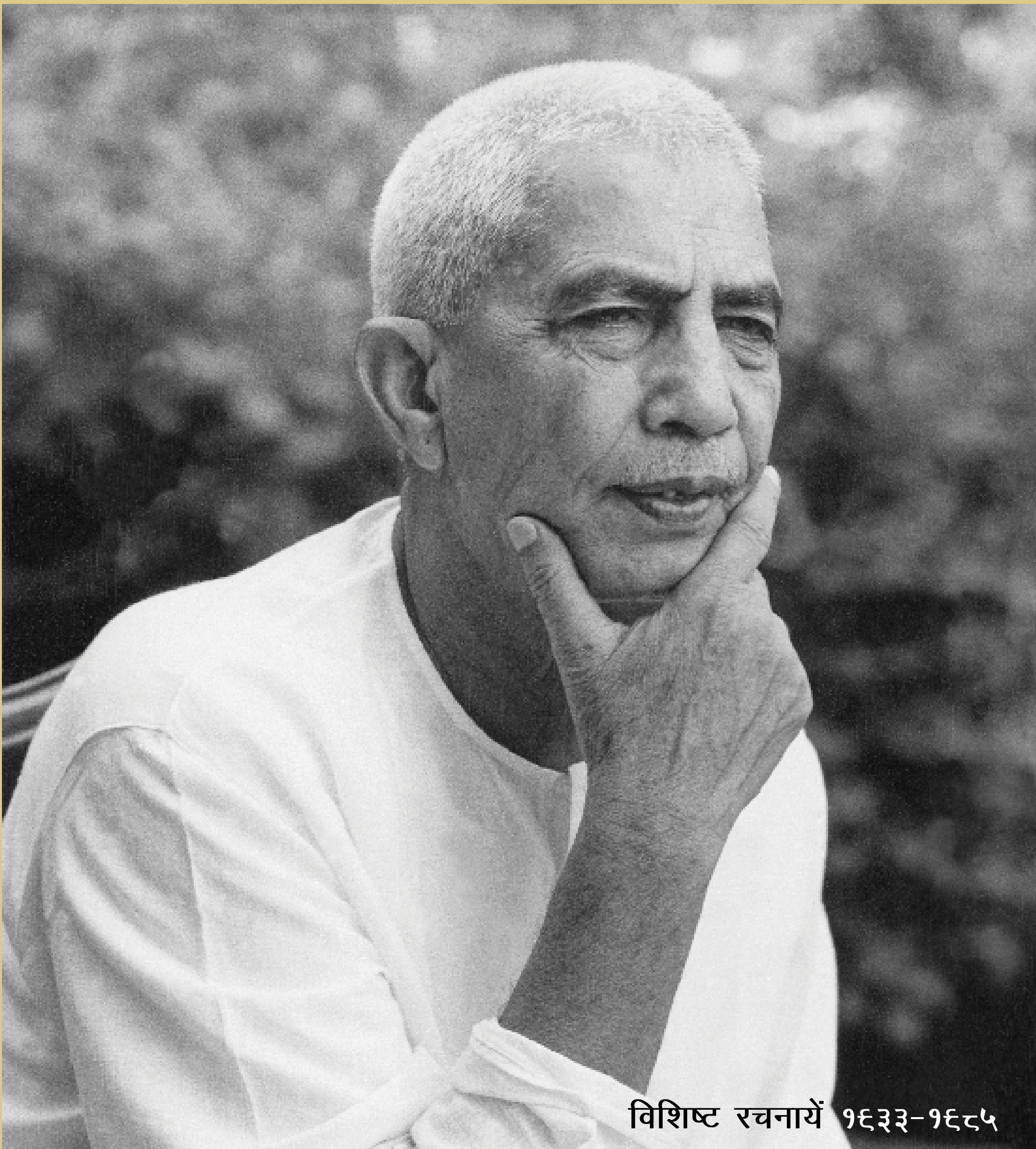

विशिष्ट रचनायें १९३३-१९८५

२६ जनवरी २०२२

चरण सिंह अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित

www.charansingh.org

info@charansingh.org

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन को केवल पूर्व अनुमति के साथ
पुनः प्रस्तुत, वितरित या प्रसारित किया जा सकता है।
अनुमति के लिए कृपया लिखें info@charansingh.org

अक्षर तथा आवरण संयोजन राम दास लाल
सौरभ प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, भारत द्वारा मुद्रित।

चरण सिंह के पिता मीर सिंह तथा माता नेत्र कौर, १९५०

चरण सिंह का जन्म २३ दिसंबर १९०२ को "एक साधारण किसान के यहां छप्पर छवाये मिट्टी की दीवारों से बने घर में हुआ था, जहां आंगन में एक कुंआ था, जिसका पानी पीने और सिंचाई के काम आता था।"[1] संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में एक पट्टेदार गरीब किसान की कच्ची मढ़ैया में पैदा हुआ यह शिशु आज़ाद भारत में देहात की बुलंद आवाज बना।

---

* चरण सिंह के अपने शब्दों में

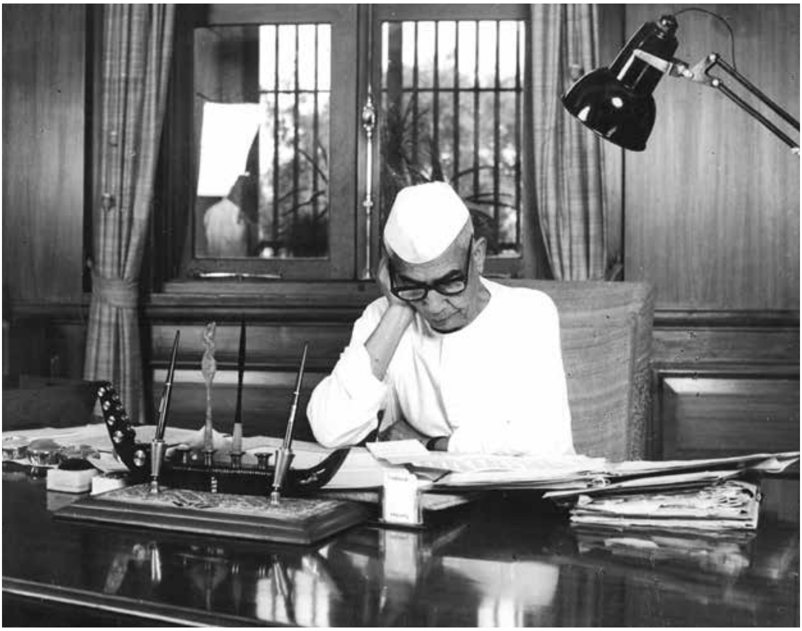

चौधरी चरण सिंह
भारत के प्रधान मंत्री। दिल्लीं, १६७६

ग्रामीण भारत के जैविक बुद्धिजीवी

१
जनसंख्या–नियंत्रण

देश के विकास और जनसंख्या नियन्त्रण के सह–सम्बन्ध को चौधरी चरणसिंह ने बहुत गहराई से महसूस किया था। उनका कहना था कि जब तक हम जन्म–दर को कम नहीं कर लेते, तब तक देश दुर्दशा की खाई से नहीं निकल सकता किन्तु चौधरी साहब जनसंख्या नियन्त्रण का माध्यम सरकारी आतंक को नहीं बल्कि जन–चेतना को मानते थे। प्रस्तुत लेख उनकी पुस्तक 'इकॉनोमिक नाइटमेअर आफ इण्डियाः इट्स कॉज़ एण्ड क्योर' के अध्याय 'अपेंडिक्स' से लिया गया है।

प्रत्यक्ष रूप में हमारी परम्पराएं ही परिवार के आकार के सम्बंध में हमारी अभिवृत्तियों का निर्माण करती हैं। कई बच्चों के जन्म विशेषकर बेटों के जन्म, को हम लोग आपदा न मानकर दैवीय वरदान मानते हैं। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (कलकत्ता) के डॉक्टर कान्ति पकरासी ने 'भारत में परिवार नियोजन के जैविक–सामाजिक प्रसंग (१९७२)' के अध्ययन में यह कहा है कि अधिकांश भारतीय दम्पतियों को अभी परिवार नियोजन की सामाजिक आवश्यकता को स्वीकार करना है और बच्चों, विशेषकर लड़कों, की इच्छा परिवार नियोजन के कार्यक्रम के प्रति उनकी उदासीनता का मुख्य कारक है।

भारत की जनसंख्या १८५६ में १३ करोड़ ७६ लाख और १९३० में २७ करोड़ ५० लाख थी और अब मार्च, १९८१ में ६८ करोड़ ४० लाख है।

आगे तालिका "क" में यह दिखाया गया है कि आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं (चाहे वे कितनी ही असन्तोषजनक और अपर्याप्त ही क्यों न हों, जैसा कि अन्य देशों की तुलना से ज्ञात होता है), के प्रसार के कारण महामारी पर नियंत्रण हो गया है तथा परिवहन और संचार सुविधाओं, दोनों के कारण देश–विदेश में दुर्भिक्ष पीडित जनसंख्या को कम समय में ही खाद्यान्न उपलब्ध हो जाता है, स्वतंत्रता के समय अपेक्षा

मत्यु–दर में तेजी से कमी आ गई है, जबकि इसके विपरीत परिवार नियोजन के प्रभावकारी कार्यक्रम का अभाव है तथा जन्म दर में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके परिणामस्वरूप सम्वृद्धि दर बहुत तीव्र गति से बढ़ी है और हमारी जनसंख्या १९५१ में ३६ करोड़ १० लाख थी, जो बढ़कर १९७१ में ५४ करोड़ ७० लाख हो गई।

१९७९ में एक करोड़ या इससे अधिक जनसंख्या वाले ५८ देशों में से १७ देशों में, जिनमें भारत की तुलना में जनसंख्या का कम घनत्व है और जहां कम जन्म दर है–चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, पोलैण्ड, अर्जेंटीना, पूर्वी जर्मनी, ताइवान कनाडा, यूगोस्लाविया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, आस्ट्रेलिया, हंगरी, चिली और क्यूबा हैं (वास्तव में, इन देशों में से एक देश पूर्वी जर्मनी में वृद्धि दर ऋणात्मक है)। भारत की नवीनतम जनगणना (मार्च, १९८१) के आंकड़ों को देखते हुए इटली और इंग्लैण्ड भी इसी ग्रुप के अन्तर्गत आ जाते हैं।

तालिका "क"

जनसंख्या की जन्म, मृत्यु और सम्वृद्धि–दर (१९०१–१९७१)

अवधि	जन्म–दर	मृत्यु–दर	प्रयोज्य भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग किलो मीटर में)	घनत्व प्रयोज्य भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग किलो मीटर में)
१९०१–१९११	४४.१	४२.६	+५.७०	२२.९
१९११–१९२१	४९.२	४७.२	–०.३०	२०.१
१९२१–१९३१	४५.४	३६.३	+११.००	२६.८
१९३१–१९४१	४५.२	३१.२	+१४.२३	३१.८
१९४१–१९५१	३९.९	२७.४	+१३.३१	३२.१
१९५१–१९६१	४१.७	२२.८	+२१.६४	४२.२
१९६१–१९७१	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	+२४.८०	४७.५

lkr% Hkkjr dh tux.kuk] 1971

(i) १९४१ का लेख १, पूरक पत्र, अस्थायी जनसंख्या के योग, पृष्ठ ३६.

(ii) १९७२ का लेख २, धर्म, पृष्ठ ७, भारत, १९७१–७२, पृष्ठ १०४,

सात देश, यथा–जापान, पश्चिमी जर्मनी, इंग्लैण्ड, दक्षिणी कोरिया, श्रीलंका, नीदरलैंड और बेल्जियम की जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है लेकिन भारत की तुलना में वहां अपेक्षाकृत कम संवृद्धि–दर

है। इसके विपरीत, तंजानिया में जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत कम है लेकिन वहां संवृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक है।

वर्मा, इथियोपिया, नेपाल और मोजाम्बीक में जनसंख्या की सम्वृद्धि–दर उतनी ही है, जितनी भारत में है अर्थात्, २.२ या २.३ है लेकिन वहां जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। मिस्र में भी जनसंख्या की वृद्धि दर इतनी ही है, जितनी भारत में है लेकिन वहां जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व (६८.३) है। बंगलादेश ही एक ऐसा देश है, जहां जनसंख्या का उच्च घनत्व (६७.५) और जनसंख्या की संवृद्धि दर लगभग (२.४) दोनों ही हैं, जैसा कि भारत में है। वास्तव में बंगलादेश में जनसंख्या की सम्वृद्धि दर और भी अधिक है। बंगलादेश के नागरिक पर्याप्त संख्या में गत ३० वर्षों से भारत के अपने समीपी राज्य असम और त्रिपुरा में घुस आए हैं।

शेष देशों में से ताइवान के आंकड़े या क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं हैं। शेष देश अर्थात् भारत की तुलना में २६ देशों में अपेक्षाकृत अधिक सम्वृद्धि–दर है लेकिन वहां जनसंख्या का अपेक्षाकृत कम घनत्व है, जैसा कि तालिका "ख" में दिखाया गया है

तालिका "ख"

संसार के देशों में तुलनात्मक सम्वृद्धि–दर और घनत्व

क्रम संख्या	देश	जनसंख्या (हजारों में)	जनसंख्या सम्वृद्धि–दर (%)	प्रयोज्य भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग किलो–मीटर में)	घनत्व प्रयोज्य भूमि का क्षेत्रफल (प्रति किलो मीटर में)
१	२	३	४	५	६
१	चीन	८,६५,६७७	१.७	४३,९२,०००	१९७
२	भारत	६,२५,०१८	२.२	२४,७९,५००	२५२
३	रूस	२,५८,९३२	०.९	१,५२,६१,०४०	१६
४	संयुक्त राज्य अमेरिका	२,१६,८१७	०.८	७१,८३,०००	३०
५	इण्डोनेशिया	१,४३,२८२	२.६	१५,१२,४६०	६४
६	ब्राजील	१,१२,२३९	२.८	८,९२,११०	१२५
७	जापान	१,१३,८६३	१.३	३,०३,८२०	३७४
८	बंगलादेश	८०,५५८	२.४	१,१९,३४०	६७५
९	नाइजीरिया	६६,६२८	२.८	७,५८,८९०	८७
१०	पाकिस्तान	७५,२७८	३.२	२,८१,६००	२६७
११	मैक्सिको	६४,५९४	३.५	१६,८४,१९०	३८
१२	पश्चिमी जर्मनी	६१,३९६	०.२	२,०४,३३०	३००

क्रम संख्या	देश	जनसंख्या (हजारों में)	जनसंख्या सम्वृद्धि—दर (%)	प्रयोज्य भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग किलो—मीटर में)	घनत्व प्रयोज्य भूमि का क्षेत्रफल (प्रति किलो मीटर में)
१	२	३	४	५	६
१३	इटली	५६,४४६	०.७	२,३७,९६०	२३७
१४	इंग्लैंड	५५,८५२	०.१	२,०४,४६०	२७३
१५	फ्रांस	५३,१०५	०.६	४,६४,६८०	११४
१६	विएतनाम	४७,८७२	२.९	२,२६,७००	२११
१७	फिलीपीन्स	४५,०२८	२.९	२,२१,७००	२०३
१८	थाइलैंड	४४,०३९	२.८	५५,३१०	७९६
१९	तुर्की	४२,१३४	२.७	७,५५,३४०	५५
२०	मिस्र	३८,७४१	२.२	५६,६४०	६८३
२१	स्पेन	३६,३५१	१.१	४,६८,५४०	७७
२२	कोरिया गणराज्य	३६,४३६	३.८	८८,६००	४११
२३	ईरान	३४,७८२	३.०	४,४९,५००	७७
२४	पोलैंड	३४,६९८	०.९	२,७७,५१०	१२५
२५	बर्मा	३१,५१०	२.२	५,५६,३५०	५६
२६	इथोपिया	२८,९२५	२.३	८,७१,९००	३३
२७	दक्षिणी अफ्रीका	२६,९५२	२.७	१०,०५,६००	२६
२८	अर्जेन्टीना	२६,०५६	१.३	२७,८७,२००	१०
२९	जैरे	२६,३७६	२.५	१५,२८,८३०	१७
३०	कोलम्बिया	२५,०४८	२.९	१०,०२,४५०	२४
३१	ताइवान	१६,७९३	२.०	—	—
३२	कनाडा	२३,३१६	१.३	३९,३१,२९०	५
३३	यूगोस्लाविया	२१,७१८	०.९	२,३४,५३०	९२
३४	रोमानिया	२१,६५८	१.०	२,१२,८४०	१०१
३५	मोरक्को	१८,२४५	२.७	२,५५,३५०	७१
३६	अल्जीरिया	१७,९१०	३.२	४,७९,२२०	३७
३७	सूडान	१६,९१९	२.६	१२,२९,९५०	१३
३८	पूर्वी जर्मनी	१६,७६५	०.२	९२,४४०	१८
३९	पेरू	१६,५२०	३.०	१०,४३,५३०	१५
४०	तन्जानिया	१६,३६३	३.०	८,०८,७४०	२०
४१	चेकोस्लोवाकिया	१५,०३१	०.७	१,१४,९१०	१३०
४२	केन्या	१४,३३७	३.६	७९,१४०	१८१
४३	अफगानिस्तान	२०,३३९	२.५	१,५४,२००	१३१

क्रम संख्या	देश	जनसंख्या (हजारों में)	जनसंख्या सम्वृद्धि–दर (%)	प्रयोज्य भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग किलो–मीटर में)	घनत्व प्रयोज्य भूमि का क्षेत्रफल (प्रति किलो मीटर में)
१	२	३	४	५	६
४४	श्रीलंका	१३,९७१	१.६	४९,५३०	२८२
४५	आस्ट्रेलिया	१४,०७४	१.७	६०,२६,०००	२
४६	नीदरलैंड	१३,८५३	०.९	२३,७००	५८४
४७	वेनेजुएला	१२,७३७	३.१	७,०१,३७०	१८
४८	नेपाल	१३,१३६	२.३	८४,६४०	१५५
४९	मलेशिया	१२,६००	२.८	२,८२,१७०	४४
५०	युगांडा	१२,३५३	३.४	१,३२,९७०	९२
५१	इराक	११,९०७	३.४	१,०७,९००	११०
५२	घाना	१०,४७५	२.८	१,५८,५२०	६६
५३	हंगरी	१०,६४८	०.४	८३,०४०	१२८
५४	चिली	१०,६५६	१.९	३,८३,१४०	२७
५५	बेल्जियम	९,९३१	०.४	२३,६७०	४१९
५६	मोजाम्बीक	९,६७८	२.३	६,६४,८००	१४
५७	क्यूबा	९,५९०	१.६	७९,५००	१२०
५८	पुर्तगाल	९,५७७	०.८	७७,४६०	१२३

स्रोतः जनसंख्या के आंकड़ों के लिए खाद्यान्न, कृषि संगठन, प्रोडक्शन इयर बुक १९७९, खण्ड ३३, तालिका ३ और जनसंख्या सम्वृद्धि दर के लिए डेमोग्राफिक इयर बुक, १९७७, संयुक्त राष्ट्र संगठन, तालिका ३। स्तम्भ ५ में प्रयोज्य भूमि के क्षेत्रफल के आंकड़ों के लिए, जिसमें कृषि योग्य भूमि, स्थायी चरागाह और हरे–भरे मैदान, वन और वनों की भूमि सम्मलित की गई है, खाद्यान्न कृषि संगठन प्रोडक्शन इयर बुक, १९७८, तालिका–१, पृष्ठ ४५–४६ देखें।

टिप्पणीः १. ताइवान के प्रयोज्य भूमि–संसाधनों और जनसंख्या के घनत्व के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। २. मार्च, १९८१ में आयोजित जनगणना के प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या की संवृद्धि दर इस शताब्दी के १८वें दशक में २.४७५ (डेमोग्रैफिक इयर बुक १९७७, के अनुसार अनुमानित २.२ के बजाय है।)

अधिक स्पष्ट रूप से, हमारी जनसांख्यिकीय स्थिति निश्चय ही हमारे लिए खतरनाक हो गई है। हमारी जनसंख्या की संवृद्धि दर का, जिसमें

जनसंख्या का घनत्व भी शामिल है, विपरीत प्रभाव उन भारतीय प्रयत्नों पर पड़ा है, जो हमारे देश के कल्याण के लिए किया जा रहे हैं। परन्तु कतिपय सम्मानित व्यक्ति इसे देश के धार्मिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति मानते हैं। आचार्य विनोबा भावे के शब्दों में कहा जाता है–व्यक्ति को भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने उसे खाने के लिए एक मुंह दिया है। उसे काम करने के लिए दो हाथ दिए हैं। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर कतिपय लेखकों, राजनीतिक नेताओं ने मनुष्यों को 'मानवीय संसाधनों' के रूप में वर्गीकृत किया है, क्योंकि संसाधन सहायक होते हैं। एल्मेर पैडेल ने कहा है, "लेकिन अधिकांश मानव कुल मिलाकर सहायता देने की अपेक्षा भार बन जाते हैं। मानव संसाधन हित–लाभों का आधार होता है, फिर भी जब लोगों की संख्या अधिक होती है, तो उनका कोई एक भाग अन्य सभी व्यक्तियों पर निर्भर हो जाता है और यह स्थिति लोगों के आधार के बिल्कुल विपरीत है। वे संसाधन न बनकर दायित्व बन जाते हैं।"[1]

वस्तुतः अमेरिका के प्रारम्भिक दिनों में बढ़ती हुई जनसंख्या एक परिसम्पत्ति थी, जब वहां उपयोग करने के लिए पर्याप्त भूमि खाली थी और देश में प्रचुर खनिज सम्पत्ति विद्यमान थी, जिसे कोई वहां जाकर उसका सदुपयोग कर सकता था। यह स्थिति आज भी अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के कतिपय देशों में और शायद आस्ट्रेलिया, कनाडा और रूस जैसे देशों में है, जहां अब तक काम में न लाये गये और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। अब कारखानों को कामगारों की आवश्यकता है, सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए और गांवों का विकास किया जाना चाहिए।

परन्तु यह बात भारत के लिए सही नहीं है (अन्य देश भी इसी प्रकार से गिने जा सकते हैं)। यहां आज करोड़ों लोग दूसरे करोड़ों लोगों के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनाने की अपेक्षा कठिन बना देते हैं। जनसंख्या सम्वृद्धि स्वयं अपने से (या आर्थिक विकास की प्राप्तियों की अपेक्षा अधिक ऊंची दर पर) हमारी परिस्थितियों में केवल उपभोक्ता स्तरों को और नीचा गिराती है, जिससे घोर कष्ट और अवनति की स्थिति पैदा हो जाती है तथा इसके फलस्वरूप गरीबी और अभाव बढ़ जाते हैं। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है और न कोई ऐसा उदाहरण हो सकता है, जहां किसी राष्ट्र ने बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा अन्य किसी विशिष्ट प्रकार का स्थान प्राप्त कर लिया हो, जब तक कि

[1] 'पॉपुलेशन ऑन द लूज', न्यूयार्क १९५१, पृष्ठ ४–५.

उसके आर्थिक उत्पादन की दर जनसंख्या से अधिक न हो जाए।

इसके अलावा, डॉ० किंग्सले डेविड ने कहा है, "जनसंख्या की वृद्धि के लिए आर्थिक रूप से अनिश्चित काल तक प्रतिवाद करने का प्रयत्न निश्चय ही असफल रहेगा, क्योंकि मानव सीमित संसार में रहते हैं। परमाणु ऊर्जा, सूर्य की किरणों का प्रयोग, समुद्री ज्वारों से उठाए जाने वाले लाभ जैसे सभी प्रयत्नों से खाद्यान्न आपूर्ति को काफी बढ़ाया जा सकता है लेकिन यह सभी प्रयत्न बराबर बढ़ती हुई जनसंख्या की देखभाल सदैव नहीं कर सकते।"[2]

हम सबसे अधिक वांछनीय फसलों और पशुधन को चुन सकते हैं और उनके लिए सबसे उपयुक्त भूमि पर पैदा कर सकते हैं। हम अभी भी हरित क्रांति की उपलब्धि के लिए समर्थ हो सकते हैं, जबकि हम ऐसा कर भी चुके हैं। हम घास भी खाना प्रारम्भ कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने यह खोज की है कि पशुओं के मांस की तुलना में घास में दस गुना अधिक प्रोटीन होता है। हम समुद्र में मछली पाल सकते हैं, जैसा कि जापान ने शुरू किया है। मिट्टी और पौधों के अभिनव परिवर्तन अथवा सुधार से हम उतना अधिक उत्पादन कर सकते हैं, जो जनता की वृद्धि से भी अधिक हो सकता है लेकिन इस प्रकार के सुधार की भी कोई सीमा है, कभी न कभी खाद्यान्न उत्पादन भी अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाएगा।

सुधार यदा–कदा ही किए जा सकते हैं लेकिन उन्हें लगातार नहीं किया जा सकता। अन्तिम कारक भूमि है। उस उत्पादन की भी एक सीमा है, जो भूमि करती है। वैज्ञानिक ज्ञान और पूंजी निवेशों से किए गए सुधारों और श्रम की भी एक सीमा होती है। अन्ततोगत्वा एक ऐसी स्थिति आ जाती है, जिसके बाद किसी भी दिए गए क्षेत्र में अतिरिक्त व्यय और अतिरिक्त श्रम से व्यय की प्रति यूनिट अथवा श्रम की प्रति यूनिट के हिसाब से उत्तरोत्तर कम उत्पादन होगा, इसलिए हमारे देश में जितनी भी भूमि उपलब्ध है, वही जनसंख्या की नीतियों के निर्धारण करने के लिए सबसे सशक्त कारक है। यदि हमारे औसत फार्म का आकार वर्ष–प्रतिवर्ष कम होता जाता है, जैसा कि १९२१ से भारत में तेजी से कम होता गया है, तो हम उस परिस्थिति से बहुत दूर नहीं हैं, जहां सबसे अधिक दक्षतापूर्ण काम में लाई जाने वाली यूनिट किसान और उसके परिवार की आवश्यकताओं के लिए बहुत छोटी होगी। अतः कृषीतर संसाधनों के विकास और रोज़गार से बेशी की व्यवस्था की जा सकेगी।

---

[2] 'द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एण्ड पाकिस्तान,' १९५१, पृष्ठ २२.

अंत में, यदि यह मान भी लिया जाए कि हम वास्तव में असीमित मात्रा में खाद्यान्न–उत्पादन कर सकते हैं लेकिन हम भूमि के लिए क्या करेंगे? हमारी दुनिया की कुल भूमि क्षेत्र में रेगिस्तान, बर्फ और पर्वत शामिल हैं और इसका क्षेत्रफल केवल ५ करोड ६० लाख वर्गमील है। यह मान लिया जाए कि हम प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए केवल एक वर्गगज ज़मीन आवंटित करें, तो जैसाकि डब्ल्यू. आर्थर लुईस[3] ने कहा है कि यदि विश्व की जनसंख्या प्रतिवर्ष कम से कम एक प्रतिशत बढ़ती जाए, तो १,१०० वर्ष बाद खड़े होने के लिए भी बहुत ही कम भूमि होगी। आज विश्व की वास्तविक संवृद्धि दर प्रतिवर्ष दो प्रतिशत है और भारत की संवृद्धि दर प्रतिवर्ष २.५ प्रतिशत है। इस प्रकार विश्व भर को प्रतिशोध दंड भुगतना होगा और भारत को १, १०० वर्षों से बहुत पूर्व यह दंड भुगतना पड़ेगा।

इसलिए भारत के लिए जनसंख्या–नियंत्रण पर मात्र सैद्धान्तिक वाद–विवाद अब अधिक संगत नहीं है अथवा इसकी असंगतता समाप्त होनी चाहिए। अब आवश्यकता यह है कि सभी सम्भव उपायों से जन्म–नियंत्रण को व्यवहार में लाया जाए और परिवार नियोजन के लिए सभी शल्य चिकित्सीय, रासायनिक, जैविक और यांत्रिक तरीकों का लाभ उठाया जाए। चूंकि कम आयु की महिलाओं में तुलनात्मक रूप से बच्चे का जन्म अपेक्षाकृत अधिक होता है, अतः लड़कियों की विवाह की आयु के बढ़ाने की आवश्यकता है। चीन में पुरुषों को २५ वर्ष की आयु से पूर्व और लड़कियों को २२ वर्ष की आयु से पूर्व विवाह के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। अभी हाल ही में (१९७९ में) भारत में लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाकर १८ वर्ष कर दी गई है। जापान ने अपनी शिक्षा के उच्च स्तर, अनुशासित राष्ट्रीय चेतना और पर्याप्त चिकित्सीय संसाधनों की सहायता से कठोर, महंगे और अप्रसन्नतादायक गर्भस्राव के तरीके अपनाकर जन्म–दर को बहुत कम कर लिया है, जबकि जापान में गर्भ–निरोधक वस्तुओं का बहुत कम उपयोग होता है। १९७१ में 'इंडियोज मेडिकल टरमिनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी एक्ट' पारित किया गया, जो इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है लेकिन इससे भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। यदि सही अर्थों में देखा जाए तो इस प्रकार सामाजिक लेखन के गर्भस्राव कानून में एक ऐसा भी उपबंध शामिल किया जा सकता है, जिसका अभिप्राय यह हो कि जब कोई महिला दूसरी बार गर्भस्राव की मांग करे, तो उसके पति को भी वैसक्टोमी ऑपरेशन करा लेना चाहिए।

---

[3] 'द थ्योरी ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ', जॉर्ज एलिन एण्ड अनविन लिमिटेड, १९५७, पृष्ठ ३०९.

इसके अलावा जनसंख्या संवृद्धि पर नियन्त्रण राष्ट्र के हित में है। एक कानून इसी प्रकार का बनाना होगा और कार्यक्रमों को इस प्रकार बनाना होगा कि हमारी जनता के सभी वर्ग और भाग इस राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए बराबर योगदान करें। प्रत्येक नागरिक को कानूनी दायित्व के अन्तर्गत परिवार नियोजन के लिए यह देखना होगा कि बच्चों के जन्म में समुचित अन्तर हो और बच्चों की संख्या तीन से अधिक न हो।

सभी प्रकार के परिवार नियोजन अभियानों और कार्यक्रमों के बावजूद हमारा देश अब भी भयावह आयामों के जनसांख्यिकीय विस्फोट की जकड़ में फंसा हुआ है। जनसंख्या की सकल संवृद्धि घटने की बजाय १९५१–६१ की २१.६४ प्रतिशत से बढ़कर १९६१–७१ में २४.८० प्रतिशत हो गई है। मार्च, १९८१ में जनगणना की प्रारम्भिक रिपोर्टों से यह विदित होता है कि वस्तुतः जनसंख्या की संवृद्धि दर में कोई कमी नहीं है। यह दर इस शताब्दी के आठवें दशक में २४.७५ थी, जबकि इस शताब्दी के सातवें दशक में २४.८० थी।

डॉ० जैक लिपेज ने अन्तर–गर्भ–निरोधक उपाय खोजा है, जो सबसे अधिक व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। उन्होंने इस शताब्दी के सातवें दशक के मध्य में यह कहा है "भारत में सबसे अधिक कमी समय की है। जन्म–नियंत्रण क्रांति को दस वर्षों से कम अवधि में ही शुरू कर देना चाहिए।" फिर भी, क्रांति जैसा कुछ भी अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है, इसके विपरीत विश्व बैंक की परियोजना में यह सुझाव दिया गया है कि यदि भारत में आज की दर से जन संख्या में वृद्धि होती रही, तो भारत में अब से सौ वर्षों बाद २८० करोड़ जनसंख्या हो जाएगी। वास्तव में इस शताब्दी के अन्त तक भारत की जनसंख्या १०० करोड़ हो सकती है।

फिर भी जनसंख्या की समस्या का हल केवल सरकारों का ही उत्तरदायित्व नहीं है। यह प्रत्येक विचारशील नागरिक की सबसे गहरी चिन्ता का विषय है। किसी भी व्यावहारिक तरीके से तब तक कोई परिणाम नहीं निकल सकता, जब तक जनसंख्या की नीति, जिसका कि प्रस्ताव किया जा सकता है, उसे जनमत की बौद्धिकता का समर्थन न प्राप्त हो। यह जन्म–दर और मृत्यु–दर का अन्तर ही है, जो किसी देश की जनसंख्या की वृद्धि को निर्धारित करता है, लेकिन जबकि मृत्यु दर, जैसा कि पाया गया है, कुछ ही लोगों द्वारा सार्वजनिक कारवाई करने से कम की जा सकी है, लेकिन जन्म–दर को बहुत से व्यक्तियों के निजी कार्य से ही कम किया जा सकता है या स्थिर किया जा सकता है। यह एक अलग बात है कि सरकार इस नियम को स्वीकार करे और यह एक दूसरी बात है कि जनता इस नियम को व्यवहार में लाए।

हमारी चेतना में इस सत्य को घर कर लेना चाहिए कि जब तक हम जन्म दर को कम नहीं कर लेते, तब तक भारत अपने आप को ही दुर्दशा की खाई में धकेल देगा। वे दिन चले गए जब हमारे पूर्वज यह कहा करते थे कि किसी भी आदमी को तभी स्वर्ग मिलेगा, जब वह अपने पीछे अपनी जीवात्मा को पिंडदान समर्पित करने के लिए एक पुत्र को छोड़े। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि हमारे पास बहुत कम भूमि है अथवा इतनी भूमि नहीं है कि हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को आराम से रख सकें। विश्व के सबसे अधिक धनी देश अमेरिका में भी यह आवश्यक समझा जाता है कि परिवार परिसीमन का अभ्यास किया जाए। अतः अब किसी ऐसी दलील की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे देश की परिस्थितियों में परिवार नियोजन के लिए हमें कायल न कर दे, जबकि हम अपनी कृषि और औद्यागिक उत्पादन की वृद्धि के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करेंगे और हमें सभी प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए। हमें यह भी योजना बनानी होगी कि हमारी जनसंख्या की संवृद्धि दर काफी कम हो जाए। आर्थिक उत्पादन और जनसंख्या–नियन्त्रण के क्षेत्र में निरन्तर कार्य किया जा सकता है। इन दोनों में कोई भी विरोध नहीं है और दोनों का ही समान महत्त्व है।

निष्कर्ष रूप में हम, वैरा एनस्टे ने जन्म–नियन्त्रण के अभ्यास के लिए भारतीय आवश्यकता के सम्बन्ध में ५० वर्ष पूर्व जो लिखा था, उसे पाठकों को बताना चाहेंगेः

> "सर्वाधिक रूप से यह मान लेना ही चाहिए कि भारत की सामान्य समृद्धि, तीव्रता या पर्याप्त ढंग से कभी भी, तब तक नहीं बढ़ सकती, जब तक कि व्यक्तिगत आय में की हुई वृद्धि जीवन–स्तर की वृद्धि नहीं करती बल्कि वह जनसंख्या की वृद्धि में ही विलीन हो जाती है। जनसंख्या की समस्या भारत के समूचे आर्थिक भविष्य के मूल में निहित है और इस तथ्य को दबाना निरर्थक ही साबित होगा।"[4]

[4] 'द इकनॉमिक डॅवलपमेंट इन इंडिया', लंदनः लांगमैन्स, १९२९, पृष्ठ ४७४, 'द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एण्ड पाकिस्तान', डॉ किंग्सले डेविस, पृष्ठ २०३ से उद्धृत।

चौधरी चरण सिंह द्वारा रचित कृतियां

शिष्टाचार, १९४१. (२०१ पृष्ट)

हाउ टू एबोलिश जमींदारीः ह्विच एल्टरनेटिव सिस्टम टू एडाप्ट। (ज़मींदारी उन्मूलन कैसे करेंः किस वैकल्पिक प्रणाली को अपनाएं) १९४७. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, संयुक्त प्रांत।

एबोलिशन ऑफ ज़मींदारीः टू अल्टरनेटिव्ज। (जमींदारी उन्मूलनः दो विकल्प) १९४७. किताबिस्तान, इलाहाबाद. (२६३ पृष्ट)

एबोलिशन ऑफ जमींदारी इन यू० पी०: क्रिटिक अंसरड। (उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलनः आलोचकों को जवाब) १९४९. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, संयुक्त प्रांत।

व्हितहर कोआपरेटिव फार्मिंग? (सामूहिक खेती की दिशा?) १९५६. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश।

एग्रेरियन रिवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश। (उत्तर प्रदेश में कृषि क्रांति) १९५७. प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश १९५८ लखनऊ, सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश। (६६ पृष्ट)

जॉइंट फार्मिंग एक्स–रैडः द प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। (संयुक्त खेतीः समस्या और समाधान) १९५९. किताबिस्तान, इलाहाबाद. (३२२ पृष्ट)

इण्डियाज पॉवर्टी एण्ड इट्स सोल्यूशन। (भारत की गरीबी और उसका समाधान) १९६४. एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई। (५२७ पृष्ट)

इण्डियन इकोनॉमिक पॉलिसीः दि गांधियन ब्लूप्रिंट। (भारत की अर्थनीतिः एक गांधीवादी रूपरेखा) १९७८. विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (१२७ पृष्ट)

इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इण्डियाः इट्स कॉज़ एण्ड क्योर। (भारत की भयावह आर्थिक स्तिथिः कारन एवं निदान) १९८१. नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (५९८ पृष्ट)

लैण्ड रिफॉर्म्स इन यू० पी० एण्ड दि कुलक्स। (उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं कुलक वर्ग) १९८६. विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (२२० पृष्ट)

'विशिष्ट रचनाएं: चौधरी चरण सिंह' भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह द्वारा १९३३ और १९८५ के बीच लिखित २२ महत्वपूर्ण लेखों और भाषणों का संग्रह है। इस पुस्तक के अध्ययन से आज का पाठक वर्ग जान सकेगा कि मौजूदा समय की चुनौतियां न तो नई हैं और न ही समाधानहीन। इनसे निपटने के लिए एक मन–सोच अथवा जिगरा चाहिए, जो निश्चय ही धरा–पुत्र चरण सिंह में था। उनका लेखन उस प्रकाशस्तंभ की तरह है जो समुद्र में भटके हुए जहाजों को किनारे तक आने का रास्ता दिखाता है। उनके लेखन के आलोक में हम मौजूदा चुनौतियों को सही परिप्रेक्ष्य में न केवल समझ सकते हैं अपितु उनका समाधान भी पा सकते हैं। इन लेखों में उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि के दर्शन होते हैं। विषयवस्तु की दृष्टि से इन लेखों को सामाजिक लेखन, आर्थिक लेखन, राजनीतिक लेखन एवं उपसंहार – चार खण्डों में विभाजित किया गया है।

चौधरी चरण सिंह की अध्यात्मिक अंतश्चेतना और राजनीतिक मेधा महर्षि दयानन्द सरस्वती एवं महात्मा गांधी से अनुप्रेरित रही, तो सरदार पटेल उनके नायक रहे। इन विभूतियों पर चौधरी साहब ने अपने विचार लेखों में प्रस्तुत किये हैं। जाति–प्रथा, आरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रभाषा जैसे सामाजिक मुद्दों के साथ ही शिष्टाचार जैसे विरल विषय पर भी दो लेख **खण्ड एक: सामाजिक लेखन** में दिये गये हैं।

चौधरी साहब भारत की उन्नति का मूल आधार कृषि, हथकरघा और ग्रामीण भारत को मानते थे। उनकी दृष्टि में ग्रामीण भारत ही वह नियामक तत्व रहा जिसे प्रमुखता देकर देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है, साथ ही बेरोजगारी जैसी विकट समस्या को भी दूर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भूमि सम्बंधी सुधारों और जमींदारी समाप्त करने को लेकर चौधरी चरण सिंह पर धनी किसानों के पक्षधर होने के आरोप विरोधियों ने लगाये। उनका उन्होंने बेहद तार्किक ढंग से उत्तर दिया है। गांव–किसान और खेती के प्रति उपेक्षापूर्ण नीतियां एवं काले धन की समस्या जैसे तथा उपरोक्त विषयों पर केन्द्रित लेख **खण्ड दो: आर्थिक लेखन** के अन्तर्गत दिये गये हैं।

खण्ड तीन: राजनीतिक लेखन के अन्तर्गत भारत की लम्बी गुलामी के मूल कारणों का विश्लेषण, गांधी–चिंतन, देश में पहली गैर–कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार की आधारभूत नीतियां, देश विख्यात माया त्यागी कांड का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, भाषा आधारित राज्यों के खतरे आदि मुद्दों के अलावा उनके नायक सरदार पटेल की स्मृति पर आधारित लेख हैं। इसी खण्ड में चौधरी साहब के ऐतिहासिक महत्व के दो भाषण भी संकलित हैं, जो लोकशाही पर संकट और राष्ट्रीय विघटन के खतरों के प्रति सचेत करते हैं।

अंतिम **खण्ड चार: उपसंहार** है, जिसमें चौधरी साहब ने राजनीति, समाज नीति और देश से सम्बंधित अधिकतर मुद्दों पर संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं।

Charan Singh Archives
www.charansingh.org

मूल्य ₹६६